



# उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।

## चोरी के 23 मोबाइल के साथ तीन शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा तीन शातिर चोरों को 23 अदद मोबाइल फोन (10 एन्ड्राइड व 13 की पैड भिन्न कम्पनियों के), 09 अदद मोबाइल चार्जर भिन्न-2 कम्पनियों के व एक अदद ई-रिक्शा सीज शुदा के साथ गिरफ्तार किया गया।



**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा थाना हसनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-274/21 धारा-457/380 भा0दं0वि0 से सम्बन्धित तीन शातिर चोरों 1.श्रीकिशन उर्फ गोला पुत्र मनोहर उम्र करीब 27 वर्ष नि0 कस्बा व थाना हसनगंज जनपद उन्नाव 2.अविनाश उर्फ दीपू पुत्र बुधई सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि0 कस्बा व थाना हसनगंज जनपद उन्नाव 3. रामकिशन पुत्र मनोहर उम्र करीब 30 वर्ष नि0 कस्बा व थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को 23 अदद मोबाइल जिसमें 10 एन्ड्राइड व 13 की पैड भिन्न कम्पनियों के व 9 अदद मोबाइल चार्जर भिन्न-2 कम्पनियों के व एक अदद ई-रिक्शा सीज शुदा के साथ पुछड़ा तिराहा हसनगंज से गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-श्रीकिशन उर्फ गोला पुत्र मनोहर उम्र 27 वर्ष नि0 कस्बा व थाना हसनगंज उन्नाव।
- 2-अविनाश उर्फ दीपू पुत्र बुधई सिंह उम्र 22 वर्ष नि0 कस्बा व थाना हसनगंज।
- 3-रामकिशन पुत्र मनोहर उम्र 30 वर्ष नि0 कस्बा व थाना हसनगंज उन्नाव।

## बरामदगी

1-23 अदद मोबाइल जिसमें 10 एन्ड्राइड व 13 की पैड भिन्न कम्पनियों के व 9 अदद मोबाइल चार्जर भिन्न-  
2 कम्पनियों के व एक अदद ई-रिक्शा सीज शुदा ।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1-उ0नि0 श्री जितेन्द्र पाण्डेय थाना हसनगंज
- 2-का0 अंकित चौधरी थाना हसनगंज
- 3-का0 प्रमोद कुमार राघव थाना हसनगंज

## स्वाट /सर्विलांस टीम

- 1-हे0का0 खैरूल बसर स्वाट टीम
- 2-हे0का0 रोहित शर्मा स्वाट टीम
- 3-हे0का0 अब्दुल जब्बार सर्विलांस सेल
- 4-का0 राधेश्याम सर्विलांस सेल
- 5-का0 रवीकुमार स्वाट टीम



# उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना मांखी, जनपद उन्नाव।

## अवैध अद्वी बंदूक व एक किलो दो सौ ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा एक शांति अपराधी को 01 अदद अद्वी बंदूक व 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।



**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार मिश्रा मय हमराह फोर्स के द्वारा ग्राम थानागांव की गौशाला के मेन गेट के सामने से अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र मुकेश सिंह उर्फ शैलेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष नि0 ग्राम पूरानिस्फपंसारी थाना मांखी जनपद उन्नाव को 01 अदद अद्वी बंदूक व 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 307/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम तथा 308/21 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ सिंह पुत्र मुकेश सिंह उर्फ शैलेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष नि0 ग्राम पूरानिस्फपंसारी थाना मांखी जनपद उन्नाव

### बरामदगी

01 अदद अद्वी बंदूक व 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा

## अभि० का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 138/20 धारा 3/25 A ACT थाना माखी उन्नाव ।
2. मु०अ०सं० 66/17 धारा 110 G CrPC थाना माखी उन्नाव ।
3. मु०अ०सं० 633/14 धारा 3/4 गुण्डा अधि० थाना माखी उन्नाव ।
4. मु०अ०सं० 380/14 धारा 354क/323/504/506/452 भादवि व 3 (I) X SC/ST ACT थाना माखी उन्नाव ।
5. मु०अ०सं० 78/21 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना माखी उन्नाव
6. मु०अ०सं० 1157/11 धारा 302/307/504 भदवि थाना माखी उन्नाव
7. मु०अ०सं० 1159/11 धारा 3/25 A ACT थाना माखी उन्नाव ।

## गिरफ्तार कर्ता –

1. उ०नि० श्री विनोद कुमार मिश्रा
2. हे०का० अलाउद्दीन
3. का० बलराम गोस्वामी
4. का० संदीप सचान



# उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव।

## दो वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में वारण्टी/वांछितों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दो वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 सर्वेश कुमार मय हमराह फोर्स के द्वारा वाद सं0 274/20 धारा 354/498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तगण 1. ऋषि सिंह पुत्र संदीप उर्फ बबलू सिंह 2.संदीप उर्फ बबलू सिंह पुत्र शिरोमणि सिंह निवासीगण ग्राम जमल्दीपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को अभियुक्तगण के घर से गिरफ्तार किया गया।



### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ऋषि सिंह पुत्र संदीप उर्फ बबलू सिंह निवासी ग्राम जमल्दीपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
2. संदीप उर्फ बबलू सिंह पुत्र शिरोमणि सिंह निवासी ग्राम जमल्दीपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सर्वेश कुमार
2. उ0नि0 कृष्णेन्द्र कुमार
3. हे0का0 सतेन्द्र सिंह



# उत्तर प्रदेश पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना मौरावां, जनपद उन्नाव।

## लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले दो गिरफ्तार

दिनांक 25.09.2021 को डायल 112 पर रात्रि करीब समय लगभग 21.30 बजे को बाबू उर्फ गुलाम असरफ पुत्र स्व० मसूद अहमद नि० कुदरा थाना मौरावां उन्नाव ने सूचना दिया कि मुनीम बिन्दा प्रसाद यादव पुत्र रामभरोसे नि० सहायखेड़ा थाना मौरावां उन्नाव को मौरावां गुलरिहा रोड पर अकोहरी से 02 कि०मी० पहले अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डन्डे से मारकर 20,000 रुपये लूट लिया गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा मय हमराह उ०नि० बीरेन्द्र सिंह मय हमराह हे०का० शिवेन्द्र सिंह व का० रोहताश के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचे।



घटनास्थल पर उपस्थित सूचना कर्ता बाबू उर्फ गुलाम अशरफ व मुनीम बिन्दाप्रसाद यादव से गहनता से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि बाबू उर्फ गुलाम अशरफ उपरोक्त को उसके भाई द्वारा 20,000 रुपये सामान की खरीदारी हेतु दिया गया था। उक्त रुपये को हड़पने के लिये दोनो व्यक्तियों द्वारा योजना बनाकर लूट होने की सूचना दी गयी। प्रकरण की जांच से लूट की घटना का होना नहीं पाया गया। झूठी सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में थाना मौरावां पर 1.गुलाम असरफ पुत्र स्व० मसूद अहमद नि० कुदरा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष 2. बिन्दाप्रसाद यादव पुत्र रामभरोसे नि० सहायखेड़ा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 41 वर्ष के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.गुलाम असरफ पुत्र स्व० मसूद अहमद नि० कुदरा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष
2. बिन्दाप्रसाद यादव पुत्र रामभरोसे नि० सहायखेड़ा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 41 वर्ष

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा
2. उ०नि० श्री बीरेन्द्र सिंह
3. हे०का० शिवेन्द्र सिंह
4. का० रोहताश



# उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव।

## वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में वारण्टी/वांछितों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 सुशील चन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स के द्वारा अपराध संख्या 272/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त प्रेम उर्फ मछलीलाल पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।



### गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रेम उर्फ मछलीलाल पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुशील चन्द्र पाण्डेय थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
2. उ0नि0 दरियाव सिंह थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
3. का0 सोनू यादव थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
4. का0 नवीन कुमार मौर्या थाना बीघापुर जनपद उन्नाव



# उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव।

## वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में वारण्टी/वांछितों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 सुशील चन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स के द्वारा अपराध संख्या 272/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त प्रेम उर्फ मछलीलाल पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।



### गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रेम उर्फ मछलीलाल पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुशील चन्द्र पाण्डेय थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
2. उ0नि0 दरियाव सिंह थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
3. का0 सोनू यादव थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
4. का0 नवीन कुमार मौर्या थाना बीघापुर जनपद उन्नाव





# उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 26.09.2021

थाना बिहार, जनपद उन्नाव।

## ग्रामवासियों की मदद से शातिर चोर गिरफ्तार

आज दिनांक 26.09.21 को थाना बिहार जनपद उन्नाव की पुलिस टीम व ग्राम मोहकमगंज कस्बा पाटन के ग्रामवासियों की मदद से नकबजन कर चोरी करने वाले शातिर अपराधी धीरज कुमार पुत्र रज्जन मौर्या उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बाबाखेड़ा चक सहारी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 26.09.21 की रात 01.00 बजे के लगभग ग्राम मोहकमगंज में माँ दुर्गा ज्वैलर्स की दुकान में कुछ चोरों द्वारा नकबजनी करने व चोरी करने का प्रयास / कार्य किया जा रहा था कि खटपट व सन्देह होने की सूचना पर ज्वैलर्स मालिक दीप प्रकाश ने जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाया तथा पुलिस को भी घटना के बारे में सूचित किया। मौके पर गाँव के काफी लोग इकट्ठा होकर व पुलिस के सहयोग से शातिर चोर धीरज कुमार पुत्र रज्जन मौर्या उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बाबाखेड़ा चक सहारी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को दौड़ाकर घटना से कुछ दूरी पर पकड़ लिया तथा उसके अन्य साथी मौके से भाग गए।



अभि० धीरज की तलाशी के उपरान्त चोरी करने तथा नकबजनी के काफी मात्रा में उपकरण मय बैग सहित बरामद हुआ। मय माल सहित वादी मुकदमा व ग्रामवासियों की तहरीर पर अभि० धीरज उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मु०अ०सं० 300/21 धारा 457/380/511 भादवि थाना बिहार पर पंजीकृत किया गया। वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त धीरज कुमार उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धीरज कुमार पुत्र रज्जन मौर्या उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बाबाखेड़ा चक सहारी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव संबंधित मु०अ०सं० 300/21 धारा 457/380/511 भादवि।

## बरामदगी का विवरण:-

- 1.नकबजनी के औजार एक ग्राइण्डर मशीन
- 2.एक लोहे का सबरा
- 3.ग्राइण्डर मशीन के दो ब्लेड
- 4.ब्लेड कसने वाली चाबी
- 5.तार कटर
- 6.लोहे की छड़
- 7.एक बड़ा पेंचकश

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ०नि० उबैस अली
- 2.हे०कां० बालकृष्ण द्विवेदी
- 3.कां० दिपेश कुमार

## ग्रामवासी -

- 1.दीप प्रकाश पुत्र गुरु प्रसाद नि० कीढीखेड़ा थाना खीरो जनपद रायबरेली
- 2.मनोज कुमार पुत्र ईश्वरीदीन निव० मोहकमगंज थाना बिहार जनपद उन्नाव